30/6/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
ओमप्रकाश पुत्र केसाराम नायक सा. रावां		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद–पत्र = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्वि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 121/2022 GCMS No.2022/241

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30.06.2022	वादी ओमप्रकाश पुत्र केसाराम जाति नायक सा. रावां हाल निवासी मकराना जिला नागौर द्वारा "प्रशासन गांवो के संग फोलोअप अभियान 2022 " के दौरान एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत सम्वत 2074–2077 ग्राम रावां पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा के खाता 159 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि नेमाराम पुत्र केसाराम जाति नायक सा. रावां दर्ज है, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व ओमप्रकाश पुत्र केसाराम जाति नायक सा. रावां हाल निवासी मकराना जिला नागौर है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादीगण द्वारा राशन कार्ड 200004063713, जन आधार कार्ड 5025788671, E Shram Card 710756931934] Voter ID RFE/0825489, आधार कार्ड 485860369655 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। प्रकरण में वादी ओमप्रकाश की माता छोटी देवी एवं भाई गंगाराम के बयान दर्ज किये गय, जिन्होन अपने बयानो में कथन किया है कि केसाराम पुत्र मोडूराम नायक की मृत्यु होने पर उनका विरासत नामान्तकरण दर्ज करते समय नेमाराम गलत रूप से दर्ज हुआ है जबकि वास्तविक नाम ओमप्रकाश ही है तथा इसी प्रकार उपरोक्त राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्त किया जाना है। इस संबंध में हल्का पटवारी रूपपुरा भू.अ.नि. कुचामनसिटी एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से वादी का नाम शुद्व किये जाने योग्य है जिसकी पुष्टि उपलब्ध उपरोक्त दस्तावेजात पटवारी हल्का, नि.भू.अ. तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट से साबित है। अतः वादीया का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	